(ग) सेवाओं से बाहर किया जाना चाहिए।

(घ) पृथक रूप में भंडारित किया जाना चाहिए; और

(ङ) दिशा-निर्देशों के अनुसार नष्ट किया जाना चाहिए।

प्ररूप – VII- ख

अनुसूची I के प्रवर्ग V के आयुध और गोला-बारूद विनिर्माण, विक्रय, अन्तरण, विक्रय के लिए रखने, अन्तरण की अनुज्ञप्ति

यू आई एन-	अनुज्ञप्ति संख्या विवरण	अनुज्ञप्ति का नाम और कारबार का पता	विनिर्मित किए जाने वाले अनुज्ञात आयुध का विवरण (केवल प्रवर्ग)		अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
1	2	3	4	5	6

----------------20---------------------(मोहर)

(हस्ताक्षर)
नियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति पर
हस्ताक्षर करने के लिए
सक्षम अधिकारी या अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

पदनाम----------------
स्थान----------------

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति का अवसान होता है	नवीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

1. (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।

   (ख) यह अनुज्ञप्ति केवल तब तक विधि मान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसको स्तंभ 3 में दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास की अवधि के अधिक जारी नहीं रहता है तो यह स्वमेव ही व्यपगत हो जायेगी।

2. अनुज्ञप्तिधारी प्रवर्ग V के किसी अग्न्यायुध का विक्रय या अन्तरण उस व्यक्ति को नहीं करेगा जो ऐसे क्षेत्र में रहता है जिस पर अधिनियम की धारा 4 लागू होती है, जब तक कि, उक्त व्यक्ति उस क्षेत्र में ऐसे अग्न्यायुध का अर्जन करने, धारण करने, या साथ रखने की अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं करता है या उसे अनुज्ञप्ति लेने के बन्धन से छूट दी गई हो।

3. अनुज्ञप्तिधारी नियम 86 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए यथा विहित ऐसे प्ररूपों में सभी विशिष्टियों को दर्शाते हुए विनिर्मित, या अन्तरित सभी अग्न्यायुधों और गोलाबारूद के हाथ में उनके सभी स्टाक के और सभी विक्रय के रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, या किसी पुलिस अधिकारी या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक से अन्यून पंक्ति के अधिकारी के मांग करने पर अनपने स्टाक और अपने रजिस्टर को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान, कारखाने, या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृश्यमान हो पर कोई ऐसी साईन बोर्ड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/हिंदी में और जिले की भाषा में उसका नाम तथा "प्रवर्ग V के सभी अग्न्यायुध या गोलाबारूद के विनिर्माण/अन्तरण/विक्रय के लिए अनुज्ञात" शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।

6. अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ (40) के अधीन विनिर्माण किये जाने के लिए अनुज्ञात किये गये उन आयुधों से भिन्न किसी अन्य प्रवर्ग या वर्णन के आयुध का विनिर्माण नहीं करेगा।

प्ररुप – VII- आ

अग्न्यायुध की प्रतिकृति के विनिमार्ण विक्रय, अन्तरण विक्रय, अन्तरण के लिए रखने की अनुज्ञप्ति

यू.आई.एन-	अनुज्ञप्ति संख्या विवरण	अनुज्ञप्ति का नाम और कारबार का पता	विनिर्माण किए जाने वाले अनुज्ञात अग्न्यायुध प्रकृति का विवरण		अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
			आयुध का प्रवर्ग	वार्षिक उत्पादन संख्या	
1	2	3	4	5	6

-------------20--------------------(मोहर)

(हस्ताक्षर)
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या नियम 5 के
अधीन हस्ताक्षर करने के लिए
विशेष रूप से सशक्त अधिकारी

पदनाम-----------------
स्थान-----------------

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररुप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान होती है	नवीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

1. (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 के सभी उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।

(ख) यह अनुज्ञप्ति केवल तब तक विधि मान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसको स्तंभ 3 में दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास की अवधि के अधिक जारी नहीं रहता है तो यह स्वमेव ही व्यपगत हो जायेगी।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भागीदारी नहीं करेगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी के नियम 70 के अधीन यथा विहित ऐसे प्ररुपों में सभी विशिष्टियों को दर्शाते हुए, विनिर्मित, या अन्तरित सभी अग्न्यायुधों और गोला बारुद के हाथ में उनके सभी स्टाक के और उनके सभी विक्रय के रजिस्ट्र का अनुसरण करेगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, या किसी पुलिस अधिकारी या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश करने पर निरिक्षक या उप-निरिक्षक से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी के मांग करने पर अपने रजिस्टर को निरिक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान, कारखाने, या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृश्यमान हो पर कोई ऐसी साईन बोर्ड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/हिंदी में और जिले की भाषा में अपना नाम तथा "अग्न्यायुध की प्रतिकृति के विनिर्माण/अन्तरण/विक्रय के लिए अनुज्ञात" शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।

5. अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ (4) के अधीन विनिर्मित की जाने वाली उन अनुज्ञात अग्न्यायुध प्रतिकृति से भिन्न अन्य किसी प्रवर्ग या वर्णन के अग्न्यायुध की प्रतिकृति या विनिर्माण नहीं करेगा।

प्ररूप – VII-इ

वायु शस्त्र जिसमें एयर राईफल्स और एयर पिस्टल भी शामिल है के विनिर्माण, विक्रय, अन्तरण, विक्रय के लिए रखने, की अनुज्ञप्ति

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति संख्या	अनुज्ञप्तिधारी का नाम विवरण और कारबार का पता	विनिर्मित किए जाने वाले अनुज्ञात वायु का विवरण		अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
			नालमुख ऊर्जा अंतराल सहित वायु के प्रकार	वार्षिक उत्पादन (संख्या)	
1	2	3	4	5	6

————------20------------------------(मोहर)

(हस्ताक्षर)
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या नियम 5 के
हस्ताक्षर करने के लिए विशेषतया
सशक्त अधीन पर अधिकारी

पदनाम----------------
स्थान----------------

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान होती है	नवीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

1. (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है

(ख) यह अनुज्ञप्ति के वह जब तक विधिमान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसके स्तंभ (3) में दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नहीं रहता है तो यह स्वमेव ही व्यपगत हो जाएगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इस अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भागादारी नहीं करेगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को किसी वायुशस्त्र जिसमें 20 जूल या 15 फिट एल बी एस से कम या 0.177" से कम बोर या 4.5 मिमी. की नालमुख ऊर्जा वाली एयर राईफल्स और एयर बन्दूके भी शामिल है का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा, जब तक कि उक्त व्यक्ति ऐसे वायु शस्त्र को आर्जन करने, धारण करने या साथ रखने की अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं करता है या उसे अनुज्ञप्ति लेने के बन्धन से छूट प्राप्त है।

3. अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को बिना उक्त से उसके पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण प्राप्त करे किसी ऐसे वायुशस्त्र जिसमें 20 जूल या 15 फिट एल बी एस से कम या 0.177" से कम बोर या 4.5 मिमी. की नालमुख ऊर्जा वाली एयर राईफल्स और एयर बन्दूके भी शामिल है, का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी नियम 65 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्ररूपों में विशिष्टियां दर्शाते हुए विनिर्मित या अन्तरित सभी वायुशस्त्रों के, हाथ में उनके सभी स्टाक के, और उनकी सभी विक्रयों के रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने स्टाक और अपने रजिस्टर को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान, कारखाने या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृश्यमान हो पर कोई ऐसा साईन बोर्ड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/हिन्दी में और जिले की भाषा में उसका नाम और "वायुशस्त्रों के विनिर्माण/अन्तरण/विक्रय के लिए अनुज्ञप्त" शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।

7. अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ (4) के अधीन विनिर्मित किये जाने वाले उन अनुज्ञात वायुशस्त्रों से भिन्न अन्य किसी प्रकार या विवरण के वायु शस्त्रों का विनिर्माण नहीं करेगा।

प्ररूप VIII

अग्न्यायुध और गोलाबारूद व्यवहारी के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति

व्यवहारी अनुज्ञप्ति ☐ आयुध का जमा करना ☐

अनुज्ञप्ति की क्रमांक संख्या__________________ यू आई एन __________________

अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख और वर्ष _________/_________/_________

अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	आयुध का विवरण और संख्या		गोला बारूद का विवरण और मात्रा		जहां परिक्षण करना अनुज्ञात किया गया है उस शूटिंग रेंज का नाम
	विक्रय किए जाने वाले या विक्रय के लिए रखे गए	नियम 48 या नियम 21 के अधीन सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा किये जाने वाले	विक्रय किये जाने वाले या विक्रय के लिए रखे गए	नियम 48 या नियम 21 के अधीन सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा किये जाने वाले	

(मोहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ____________ या

नियम (5) के अधीन अनुज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी

पदनाम__________________

स्थान__________________

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान करती है	नवीकरण प्राधिकारी या विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

1. (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबंधों के अधीन प्रदान की जाती है

(ख) अनुज्ञप्ति, व्यवहारी को केवल अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के पश्चात् ही शूटिंग रेंज पर प्रदर्शन के लिए किसी आयुध या गोलाबारूद की परीक्षण या फायरिंग के लिए जाने हेतु हकदार बनाता है।

(ग) यह अनुज्ञप्ति के वह जब तक विधिमान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसके स्तंभ (3) में दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नहीं रहता है तो वह स्वमेव ही व्यपगत हो जाएगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी नियम 75 में यथावर्णित ऐसी रीति और प्ररूप में विशिष्टियों को दर्शाते हुए स्टाक में और जमा किये गए सभी आयुधों और गोलाबारूद तथा उनके विक्रयों के रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय सरकरा द्वारा सेवा निदेश करने पर निरिक्षक या उप-निरिक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने स्टाक और अपने रजिस्टर को निरिक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान या दुकान के ऐसे भाग पर जो सहजदृश्यमान होगा एक ऐसा साईन बोर्ड लगाएगा जिस पर अंग्रेजी/हिन्दी में और स्थानीय भाषा में उसका नाम और "प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के प्रवर्ग के अनुसार आयुधों और गोलाबारूद की विक्रय करने/अन्तरण करने के लिए अनुज्ञप्त" शब्द बड़े शब्दों में लिखे होंगे।

5. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के अन्दर आने वाले आयुधों या गोलाबारूद को स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट कारबार के स्थान से अन्य कहीं विक्रय नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास प्ररूप II, प्ररूप III, प्ररूप IV तथा प्ररूप V में अनुज्ञप्ति है किसी आयुध या गोलाबारूद के विक्रय या अन्तरण के समय अनुज्ञप्ति पर निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा—

(क) उस व्यक्ति का नाम, विवरण और निवास पता जो विक्रय की गई या अन्तरित की गई वस्तुओं के प्रदाय को लेता है।

(ख) विक्रय की गई या अन्तरित की गई वस्तुओं की प्रकृति और उनकी मात्रा, और

(ग) विक्रय या अन्तरण की तारीख

और अनुज्ञप्तिधारी और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा तथा अपनी मोहर लगायेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी किसी शस्त्र के विक्रय या अन्तरण के समय अग्न्यायुध के विनिर्माण के समय उस पर स्टाम्पित या अन्यथा विनिर्माण की क्रमांक संख्या और अन्य पहचान चिह्न यदि कोई हो की अपने रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी आयुधों और गोलाबारूद के सभी विक्रय या अन्तरण की सूचना ऐसे व्यक्ति को और ऐसी रीति में जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश करे, को देगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो आयुध को कब्जे में रखने या साथ रखने के लिए अनुज्ञप्त है, पहले इस प्रभाव में लिखित प्रमाण-पत्र किये बिना गोलाबारूद का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा कि उसके द्वारा अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित गोलाबारूद की मात्रा, उसके कब्जे में गोलाबारूद की कुल मात्रा उस मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसका वह वर्ष में किसी समय पर कब्जे का या वर्ष के लिए अपने कुल अनुज्ञात मात्रा का हकदार है

परन्तु वह किसी व्यक्ति को किसी ऐसी अधिकतम मात्रा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के लिए नियत की गई है या जिसे ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया गया है से अधिक मात्रा की दशा में, विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा।

10. इसमें अन्तर्विष्ट अन्य शर्तों के अधीन कोई अनुज्ञप्तिधारी, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, किसी ऐसे व्यक्ति को आयुध या गोलाबारूद का विक्रय करने से इंकार नहीं करेगा जो आयुध अधिनियम, 1959 या आयुध नियम 2016, के उपबंधों के अधीन ऐसे आयुधों या गोलाबारूद को क्रय करने या अर्जन करने का हकदार है।

11. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर बन्द होता है तो सभी उन अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को जो परिसर में है अग्न्यायुध की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

12. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार या अन्य किसी प्रयोजन के लिए खुला होता है उन अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को संप्रदर्शित नहीं किया गया है उन अग्न्यायुधों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उन्हें किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

13. अनुज्ञप्तिधारी अग्न्यायुधों या गोलाबारूद का प्रदर्शन कामकाज के समय कर सकेगा तथापि संप्रदर्शित अग्न्यायुधों को खाली रखा जाना चाहिए और हैंडगन्स की दशा में उन्हें संप्रदर्शित काउंटर या कैबिनेट में बन्द रखा जाना चाहिए जो उसमें संप्रदर्शित हैंडगन्स को अनाधिकृत पहुंच से बचा सके और हैंडगन्स को छोड़कर अन्य अग्न्यायुधों की दशा में उन्हें, किसी सुरक्षित तालाबन्दी युक्ति से या किसी ऐसे सुरक्षित धातु बद्ध से जो असुवाह्य संरचना से ऐसी रीति में संलग्न है कि जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है के द्वारा अक्रियशील बनाया जाना चाहिए। और ऐसे अग्न्यायुधों को ऐसे गोलाबारूद के साथ संप्रदर्शित नहीं किया जाएगा जिससे इस छोड़ा जा सके।

14. व्यवहारी किसी भी समय किन्हीं अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को किसी ऐसे प्रदर्शन मंजूषा में या प्रदर्शन खिड़की में जो प्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसी पब्लिक गली, सड़क रास्ता या पब्लिक स्थान जहां सामान्य पब्लिक की पहुंच है पर बाहर जाती है या दिखाई देती है प्रदर्शित या संप्रदर्शित नहीं करेगा या संप्रदर्शित करने या प्रदर्शित करने के लिए या ऐसे संप्रदर्शित या प्रदर्शित करने के कारक को अनुज्ञात नहीं करेगा।

15. व्यवहारी और व्यवहारी द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों को आयुध अधिनियम 1959, और आयुध नियम, 2016 के उपबंधों से अवगत होना चाहिए और नियम 10 में यथाउल्लेखित शस्त्रों को संभालने और सुरक्षित भंडारण विहित प्रशिक्षण लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि—

(i) काम काज की अवधि के दौरान सारे समय सम्पूर्ण अग्न्यायुधों और गोलाबारूद पर समुचित नियंत्रण कर लिया गया है।

(ii) विहित रजिस्टरों को समुचित रूप से अनुरक्षित किया गया है।

(iii) अग्न्यायुध और गोलाबारूद की हानि या चोरी के सापेक्ष प्रत्येक युक्तियुक्त सावधानी ली गई है।

सुरक्षित अभिरक्षा हेतु रखे गए अग्न्यायुधों और गोलाबारूद पर तथा धारा 21 के अधीन लागू शर्तें

16. इसके अन्तर्गत केवल स्तंभ 3 और 5 में दिये गए विवरण के आयुध और गोलाबारूद आते है जब तक कि वे स्तंभ 1 में वर्णित स्थान पर रखे होते है, लेकिन यह अनुज्ञप्तिधारी को आयुध साथ रखने के लिए प्राधिकृत नहीं करती है।

17. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के अधीन उसके द्वारा जमा किए गए सभी आयुधों या गोलाबारूद के इन नियमों के नियम 76 के उप-नियम (3) में यथावर्णित ऐसे प्ररूपों और रीति में विशिष्टियों को दर्शाते हुए पृथक रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा।

(i) अधिनियम की धारा 21 के अधीन, और

(ii) अधिनियम की धारा 21 के अधीन के अन्यथा सुरक्षित अभिरक्षा हेतु

18. अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित सत्यापन के बिना आयुधों या गोलाबारूद को जमा करने हेतु नहीं लेगा—

(क) कि उन्हें किसी अपराधिक आशय के साथ जमा नहीं किया जा रहा है और

(ख) अधिनियम की धारा 21 के अधीन से अन्यथा जमा किए जाने की दशा में, कि वे इन नियमों के अधीन जारी की गई किसी वैध अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आते हैं।

19. जमा किये गए अग्न्यायुधों या गोलाबारूद के समपहरण के लिए विहित अवधि के अवसान पर अनुज्ञप्तिधारी उन्हें जिले या राज्य सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट किए गए ऐसे स्थान के मालखाने में जमा करेगा।

प्ररूप VIII-ख

वायुशस्त्र व्यवहारियों के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति	यू०आई०एन	अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	विक्रय किये जाने वाले या विक्रय के लिए रखे गये वायु शस्त्रों का विवरण और संख्या	विक्रय किये जाने वाले या विक्रय के लिए रखे गये वायु शस्त्रों के लिए गोलाबारूद का विवरण और मात्रा	अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
1	2	3	4	5	6

......../......./20...... (मोहर)

(हस्ताक्षर)
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या
नियम (5) के अधीन हस्ताक्षर
करने के लिए विशेष रूप से सशक्त
अधिकारी ____________
पदनाम____________
स्थान____________

अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु प्ररूप

नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान होती है	नवीकरण प्राधिकारी या विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

1. (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

(ख) यह अनुज्ञप्ति केवल जब तक विधिमान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसके स्तंभ (3) दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नहीं रहता है तो यह स्वमेव ही व्यपगत हो जायेगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी नियम 85 में यथावर्णित ऐसी रीति और प्ररूपों में विशिष्टियों को दर्शाते हुए स्टॉक में तथा जमा किये गये सभी आयुधों और गोला-बारूद के और उसके सभी विक्रय के रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने स्टाक और अपने रजिस्टर को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के स्थान या दुकान के उस भाग पर सहजदृश्यमान हो एक ऐसा साईन बोर्ड लगायेगा जिस पर अंग्रेजी/हिन्दी में और स्थानीय भाषा में उसका नाम और वायु शस्त्रों के विक्रय/अन्तरण करने के लिए अनुज्ञप्त शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।

5. अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट कारबार के स्थान से अन्य किसी स्थान पर अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले आयुधों या गोलाबारूद का विक्रय नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को बिना उक्त क्रेता से पहचान प्रमाण तथा निवास प्रमाण प्राप्त करे ऐसे वायुशस्त्रों का जिसमें 20 जूल या 15 फिट एल.बी.एस. अधिक और या 0.177 या 4.5 मिमी से कम से कम बोर की नालमुख ऊर्जा वाला एयर राईफल और एयर बन्दूके शामिल है विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा

7. अनुज्ञप्तिधारी किसी वायु शस्त्र के विक्रय या अन्तरण के समय अग्न्यायुध के विनिर्माण के समय उस पर स्टाम्पित या अन्यथा विनिर्माण की क्रमांक संख्या और अन्य पहचान चिन्ह यदि कोई हो को अपने रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति को और ऐसी रीति में जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश करे, वायु शस्त्रों के सभी विक्रय या सभी अन्तरणों की सूचना देगा।

9. इसमें अन्तर्विष्ट अन्य शर्तों के अधीन कोई अनुज्ञप्तिधारी, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, किसी ऐसे व्यक्ति को आयुध या गोलाबारूद का विक्रय करने से इंकार नहीं करेगा जो आयुध अधिनियम 1959 या आयुध नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन ऐसे आयुधों या गोलाबारूद को क्रय करने या अर्जन करने का हकदार है।

10. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार प्रयोजन के लिए बन्द होता है तो सभी उन अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को जो परिसर में है को अग्न्यायुध की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

11. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार या अन्य किसी प्रयोजन के लिए खुला होता है जो अग्न्यायुध और गोलाबारूद संप्रदर्शित नहीं किये गये है उन अग्न्यायुधों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उन्हें किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

12. अनुज्ञप्तिधारी अग्न्यायुधों या गोलाबारूद का प्रदर्शन कामकाज के समय कर सकेगा, तथापि संप्रदर्शित अग्न्यायुधों को खाली रखा जाना चाहिए और दस्तगन्स की दशा में उन्हें संप्रदर्शित काउंटर या कैबीनेट में बन्द रखा जाना चाहिए ताकि उसमें संप्रदर्शित हैण्डगन्स को अनाधिकृत पहुंच से बचाया जा सके और हैण्डगन्स को छोड़कर अन्य अग्न्यायुधों की दशा में उन्हें, किसी सुरक्षित तालाबन्दी युक्ति से या किसी ऐसे सुरक्षित धातु बद्ध से जो सुवाहन्यि संरचना से ऐसी रीति में संलग्न है कि जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है, के द्वारा अक्रियशील बनाया जाना चाहिए। और ऐसे अग्न्यायुधों को ऐसे गोलाबारूद के साथ संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा जिससे इसे छोड़ा जा सके।

प्ररूप IX

बन्दूक बनाने वाले को अग्न्यायुधों को संपरिवर्तित करने, छोटा करने, मरम्मत (वृहत) करने या परिक्षण करने (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) या संपरिवर्तन, मरम्मत (वृहत) या परिक्षण (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) के लिये रखने हेतु अनुज्ञप्ति

यू.आई.एन.__________ अनुज्ञप्ति संख्या__________

____

अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	संपरिवर्तित किये जाने, छोटे किये जाने, मरम्मत (वृहत) किये जाने, परिक्षण किये जाने (प्रमाण परिक्षण से भिन्न या संपरिवर्तन के लिए, छोटा करने के लिए, मरम्मत (वृहत) के लिए या परिक्षण (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) के लिये रखने के लिए अनुज्ञात अग्न्यायुधों का विवरण		मरम्मत किये गये अग्न्यायुधों के परिक्षण के लिए अपने पास रखे जाने वाले अनुज्ञात गोलाबारूद का विवरण और संपरिवर्तित किये जाने वाले अनुज्ञात गोलाबारूद का विवरण		अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
	प्रवर्ग	मात्रा (संख्या)	प्रवर्ग	मात्रा (संख्या या भार किग्रा में)	
1	2	3	4	5	6

......./......20.... (मोहर)

(हस्ताक्षर)

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी—या नियम (5) के अधीन हस्ताक्षर करने के लिए विशेषरूप से सशक्त अधिकारी

पदनाम __________

स्थान__________

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान पाती है	नवीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

1. (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

(ख) यह अनुज्ञप्ति केवल जब तक विधिमान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसके स्तंभ (3) दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नहीं रहता है तो यह स्वतः ही व्यपगत हो जाएगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इस अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भागीदारी नहीं करेगा ;

2. अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के नियम 82 के अधीन यथा विहित ऐसे प्ररूपों में विशिष्टियां दर्शाते हुए संपरिवर्तित छोटे किये गये, मरम्मत (वृहत) किये गये सभी आयुधों और गोलाबारूद्ध के रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने स्टाक और अपने रजिस्टर को निरिक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार कारखाने के स्थान या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृश्यमान हो पर एक ऐसा साईन बोर्ड लगाएगा जिस पर हिन्दी/अंग्रेजी और जिले की भाषा में उसका नाम और "आयुधों और गोलाबारूद्ध को संपरिवर्तन करने/छोटा करने और मरम्मत (वृहत) करने के लिए अनुज्ञप्त" शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।

5. अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ 2 और 4 के अधीन अनुज्ञात से भिन्न अन्य किसी प्रवर्ग या विवरण के आयुधों और/या गोलाबारूद्ध का संपरिवर्तन,/छोटा करना/ मरम्मत (वृहत) नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट कारबार या कारखाने के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर आयुधों या गोलाबारूद का संपरिवर्तन/छोटा करना/मरम्मत (वृहत) नहीं करेगा।

7. यह अनुज्ञप्ति, स्तंभ 2 में दर्शित प्रवर्गों के अग्न्यायुधों की मरम्मत के प्रयोजन के लिए अग्न्यायुधों के संघटकों और पुर्जों को बनाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को हकदार बनाती है, किन्तु यह उसे ऐसे संघटकों या पुर्जों का पूर्ण आयुधों या गोलाबारूद्ध में संजजन करने के प्रयोजन के लिए उनका विनिर्माण या उपयोग करने का हकदार नहीं बनाता है। ऐसे निर्बन्धित प्रवर्ग [प्रवर्ग 1 (ख) और 1 (ग)] के आयुधों और अप्रचलित अन्तर्व्यास शस्त्रों जिनका उत्पादन बन्द हो गया है या जिनके लिए कोई गोलाबारूद्ध आसानी से उपलब्ध नहीं का अनुज्ञेय प्रवर्ग आयुधों में संपरिवर्तन को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के अध्यधीन इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञात किया जायेगा। वृहत मरम्मत के अधीन आने वाले शस्त्रों की नालों का प्रतिस्थापन भी शर्त 8 के अध्यधीन अनुज्ञेय है।

8. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी दशा में 20 इंच से अन्यून किसी अग्न्यायुध की नली को छोटा नहीं करेगा।

9. यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को खाली कारतूस या बिना प्रक्षेप्य वाले किसी गोलाबारूद्ध को एकल/बहुल प्रक्षेप्य गोलाबारूद में संपरिवर्तित करने या किसी गोलाबारूद्ध को भरने या खाली करने का हकदार नहीं बनाती है।

10. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार प्रयोजन के लिए बन्द होता है तो सभी उन अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को जो परिसर में है को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

11. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार या अन्य किसी प्रयोजन के लिए खुला होता है जो अग्न्यायुध और गोलाबारूद्ध संप्रदर्शित नहीं किये गये है उन अग्न्यायुधों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उन्हें किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।

12. अनुज्ञप्तिधारी उन अग्न्यायुधों को जिन पर उसने अपनी शिल्पकारी को अग्रसर करने के लिए आयुध नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्य किया है संप्रदर्शित कर सकेगा, तथापि संप्रदर्शित अग्न्यायुध खाली होने चाहिए और हैण्डगन्स की दशा में उन्हें संप्रदर्शित काउण्टर या कैबीनेट में बन्द रखा जाना चाहिए ताकि उसमें प्रदर्शित हैण्डगन्स को अप्राधिकृत पहुंच से बचाया जा सके।

13. अनुज्ञप्तिधारी केवल अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की पूर्व सहमति से किसी अग्न्यायुध को निष्क्रिय कर सकेगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी को किसी व्यक्ति को एक प्रशिक्षु के रूप में नियोजित करना अनुज्ञात है यदि ऐसा व्यक्ति भारत लागू श्रम विधि के अधीन किसी ऐसे प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत है तथा ऐसे प्रशिक्षु पर वैयक्तिक नियन्त्रण या पर्यवेक्षण में रखेगा जो किसी अग्न्यायुध पर कोई कार्य करता है।

15. अनुज्ञप्तिधारी उसे प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन कारबार का प्रारम्भ करने से पूर्व अनुमोदित तिजोरी या कोष कक्ष की स्थापना को सुनिश्चित करेगा।

प्ररूप IX ब

बन्दूक बनाने वाले को अग्न्यायुधों की मरम्मत (लघु) करने या परिक्षण करने (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) करने या मरम्मत (लघु) या परिक्षण (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) के लिये रखने की अनुज्ञप्ति

फुल्साइक्रमन__________

अनुज्ञप्ति संख्या

____

अनुज्ञप्तिधारी का नाम, विवरण और कारबार का पता	मरम्मत (लघु) किये जाने वाले या परिक्षण (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) किये जाने वाले या मरम्मत (लघु) या परिक्षण (प्रमाण परिक्षण से भिन्न) के लिए रखने हेतु अनुज्ञात अग्न्यायुधों का विवरण		मरम्मत (लघु) किये अग्न्यायुधों को परिक्षण के लिए अपने पास रखने वाले अनुज्ञात गोलाबारूद का विवरण		अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख
	प्रवर्ग	मात्रा (संख्या)	प्रवर्ग	मात्रा (संख्या या भार किग्रा में)	
1	2	3	4	5	6

....../......20.... (मोहर)

(हस्ताक्षर)
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी-या नियम
(5) के अधीन हस्ताक्षर करने के लिए
विशेषरूप से सशक्त अधिकारी
पदनाम __________
स्थान__________

अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्ररूप			
नवीकरण की तारीख और वर्ष	वह तारीख जब नवीकृत अनुज्ञप्ति अवसान करती है	नवीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	मोहर
1	2	3	4

शर्तें

1. (क) यह अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम 1959 और आयुध नियम 2016 के सभी उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

(ख) यह अनुज्ञप्ति केवल जब तक विधिमान्य है जब तक अनुज्ञप्तिधारी उसके स्तंभ (3) दर्शित परिसर में व्यापार या कारबार करना जारी रखता है और यदि कारबार लगातार छः मास से अधिक अवधि तक जारी नही रहता है तो यह स्वमेव ही व्यपगत हो जायेगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इस अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भागीदारी नही करेगा;

2. अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के नियम 82 के अधीन यथा विहित ऐसे प्ररूपों में विशिष्टियाँ दर्शाते हुए, मरम्मत (लघु) किये गये सभी आयुधों और गोलाबारूद के रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी किसी मजिस्ट्रेट, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे निदेश करने पर निरीक्षक या उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी के मांग करने पर अपने स्टाक और अपने रजिस्टर को निरिक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार कारखाने के स्थान या दुकान के उस भाग पर जो सहजदृश्यमान हो पर एक ऐसा साईन बोर्ड लगाएगा जिस पर हिन्दी/अंग्रेजी और जिले की भाषा में उसका नाम और "आयुधों और गोलाबारूद को सपरिवर्तन करने/छोटा करने और मरम्मत (लघु) करने के लिए अनुज्ञप्त" शब्द बड़े अक्षरों में लिखे होंगे।

5. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी दशा में 20 इंच से अन्यून किसी अग्न्यायुध की नली को छोटा नही करेगा।

6. उस अवधि के दौरान जब अनुज्ञप्त परिसर कारबार प्रयोजन के लिए बन्द होता है तो सभी उन अग्न्यायुधों और गोलाबारूद को जो परिसर में है को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु किसी कोष कक्ष या तिजोरी में बन्द रखा जाना चाहिए।